



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर

नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 200 ग्राम चरस नाजायाज बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त मेहरबान पुत्र शहीद निवासी उस्मानिया मस्जिद के पास, एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान के पास बने तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 200 ग्राम चरस नाजायाज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0- 280/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

मेहरबान पुत्र शहीद निवासी उस्मानिया मस्जिद के पास, एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 200 ग्राम चरस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 436/15 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 280/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलबीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 388 कपिल तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 31 सुभाष चन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा शराब तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

12 बोतल माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब तस्करी आदि की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 22.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त याहयाह उर्फ कागा पुत्र मुस्तकीम निवासी 62 फुटा रोड उस्मानीया मस्जिद के पास वाली गली थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

याहयाह उर्फ कागा पुत्र मुस्तकीम निवासी 62 फुटा रोड उस्मानीया मस्जिद के पास वाली गली थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 550/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 279/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 12 बोतल माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पंकज शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 894 हरेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 819 सतेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक 23.06.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 105 ग्राम अवैध चरस (कीमत करीब 2,10,000/- ₹0) व 01 अवैध चाकू तथा 01 मोटरसाईकिल रजि0नं0- UP-11-CX-2452 बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा 2.0” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इंद्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23/06/2026 को चैकिंग सदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण 1. मेहरबान उर्फ गोलू पुत्र मंजूरा 2. आजम पुत्र साजिद निवासीगण मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को गंगोह पब्लिक स्कूल के पास कब्रिस्तान के तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 105 ग्राम अवैध चरस, 01 अवैध चाकू तथा 01 मोटरसाईकिल बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 306/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मेहरबान उर्फ गोलू पुत्र मंजूरा निवासी मौ0 गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. आजम पुत्र साजिद निवासी मौ0 गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 105 ग्राम अवैध चरस
- 01 अवैध चाकू
- 01 मोटरसाईकिल UP-11-CX-2452

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मेहरबान उर्फ गोलू

1. मु0अ0सं0 295/24 धारा 115/351(2)352 बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 306/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आजम

1. मु0अ0सं0 504/20 धारा 392/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 506/20 धारा 307, 398, 401 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 507/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 570/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 306/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है०का० 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है०का० 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है०का० 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:23.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 10 डिब्बी सिगरेट RED AND WHITE, 05 पैकेट दिलबाग व 1600/- रुपये नकद बरामद।

घटना का विवरण:

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2026 को वादी श्री जाकिर पुत्र हाजी सत्तार निवासी ग्राम महेश्वरी कलाँ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान ग्राम भोजपुर तगा से दिनांक 18.06.26 की रात्रि में दुकान में घुसकर वादी की दुकान से काजू, बादाम, दिलबाग के पैकेट व सिगरेट की डिब्बी व 25000/- रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 207/26 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस का पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही की विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चिलकाना श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित चोर/ अभियुक्त फैजान पुत्र इनाम निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को महेश्वरी से रणडौल जाने वाले रास्ते पर बड़े पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये हुए 10 डिब्बी सिगरेट RED AND WHITE, 05 पैकेट दिलबाग व 1600/- रुपये नकद बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

फैजान पुत्र इनाम निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 10 डिब्बी सिगरेट RED AND WHITE
- 05 पैकेट दिलबाग
- चोरी किये गये 1600/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

- 1- उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 2- है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 3- का0 582 टीकम सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक 23.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस द्वारा मारपीट व बलवा के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 सरिया (घटना में प्रयुक्त) व 01 अवैध तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 08.06.2026 को ग्राम पापडी में दो पक्षों में लडाई झगडे की सूचना प्राप्त हुई जिसमें प्रथम पक्ष के 1.रहमान पुत्र फिरोज 2-मुजस्सम पुत्र असलम 3.मसुल्ला पुत्र मुर्तजा निवासीगण ग्राम पापडी थाना तीतरों जिला सहारनपुर 4.सुरेश पुत्र धूमसिंह 5.मुकेश पुत्र धूमसिंह 6.शेरदीन पुत्र अलमूदीन निवासीगण ग्राम आसफगढ थाना तीतरों जनपद सहारनपुर व अन्य अज्ञात तथा द्वितीय पक्ष के 1.संजीव पुत्र चुन्नीराम 2.सुग्गन पुत्र अन्तू 3.मनोज पुत्र चुन्नीराम 4.संदीप पुत्र चुन्नीराम 5.पोपी पुत्र गजा व अन्य अज्ञात समस्त निवासीगण ग्राम आसफगढ थाना तीतरों सहारनपुर द्वारा एक दूसरे पर लाडी डन्डों, लोहे के सरियों से जान से मारने की नीयत से वार करना व एक दूसरे पर निशाना साधकर ईंट पत्थर मारने के सम्बन्ध में थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 109(1), 191(1), 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएसएस व 7 सीएलए एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष तीतरों श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. शेरुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम आसफगढ थाना तीतरों जनपद सहारनपुर 2. सुग्गन पुत्र अन्तू निवासी ग्राम आसफगढ थाना तीतरों जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का सरिया, 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शेरुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम आसफगढ थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
2. सुग्गन पुत्र अन्तू निवासी ग्राम आसफगढ थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 लोहे का सरिया
- 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

अभियुक्त शेरुद्दीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 121ए/2011 धारा 323,324,452,354,506 भादवि थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 211/25 धारा 115(2),352,351(2) 3 (1) द,3 (1) ध ,3 (2) 5 एससीएसटी एक्ट थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सुग्गन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 158/13 धारा 323,324,504,452 भादवि थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी श्री विकास चारण थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
4. है0का0 740 हनी सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
का0 1090 अमित कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर



दिनांक - 23.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन पर शिकंजा कसते हुए 02 वाहनों को ओवरलोड उपखनिज व 01 वाहन को बिना प्रपत्र व ओवरलोड उपखनिज के साथ किये जप्त

जिलाधिकारी सहारनपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु टास्क फोर्स गठित कर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगातार चैकिंग टीमें लगाकर अवैध खनन परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसमें दिनांक 21/22.06.2026 को क्षेत्राधिकारी बेहट व प्रभारी निरीक्षक बेहट द्वारा पुलिस टीम के साथ अवैध खनन रोकथाम हेतु चैकिंग के दौरान 03 ट्रक 1. HR-58-E-3537 बिना प्रपत्र मय खनन सामग्री 2. UP11DT7938 ओवरलोड 3. HR37E5768 ओवरलोड उपखनिज का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। उक्त ट्रकों को ओवरलोड उपखनिज के साथ थाना बेहट पर दाखिल किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

कार्यवाही का विवरण:-

01 ट्रक HR-58-E-3537 बिना प्रपत्र खनन सामग्री भरी हुयी

01 ट्रक UP11DT7938 ओवरलोड

01 ट्रक HR37E5768 ओवरलोड उपखनिज

वाहन जप्त करने वाली टीम का विवरण:-

1. क्षेत्राधिकारी बेहट, सुश्री प्रिया यादव

2. प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर

3. का0 1811 राहुल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 23.06.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश
थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुये अभियुक्त को किया
गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 950/- रुपये बरामद

घटना का विवरण: -

वादी श्री मंहत आनंद स्वामी उर्फ अमरपाल सिंह निवासी खोसपुरा थाना नकुड जिला सहारनपुर के द्वारा दिनांक 08.05.26 को थाना नकुड मु0अ0स0 260/26 धारा 305(घ) बीएनएस बाबत अज्ञात चोर द्वारा ग्राम खोसपुरा मे स्थित श्री कृष्ण मन्दिर गीता धाम के दो दानपात्रो तोड़कर कुछ धनराशि चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त चोरी की घटना का शीघ्र अनवारण करने हेतु आवश्यकत आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाषचन्द के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.06.2026 को थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा गस्त चैकिंग के दौरान अभियुक्त तासीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर को नकुड गंगोह रोड पर बन्द पड़े पेट्रोल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 950/- रुपये बरामद हुए। मुकदमा उपरोक्त मे बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोतरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तासीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का तासीन का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 81/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 260/26 धारा 305(घ), 317(2) बीएनएस थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 950/- रुपये नगद (चोरी किये गये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाषचन्द थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 10 आलोक शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. कां0 202 विवेक धामा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 23.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 50,000/- रुपये की धनराशि को शत प्रतिशत पीडित के खाते में करायी गयी वापस।

घटना का विवरण:-

दिनांक 24.08.2025 को फ्राडस्टर के द्वारा अपने आप को परिचित बताकर फर्जी क्रेडिट मैसेज सैन्ड कर शिकायतकर्ता श्री पलविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह निवाली ग्राम जाण्डखेडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के साथ 50,000/- रुपये फ्राड कर लिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा दिनांक 24.08.2025 को आनलाइन साइबर पोर्टल पर साइबर फ्राड शिकायत सं० 33108250102738 दर्ज करायी थी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर शिकायत संख्या 33108250102738 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त की साइबर फ्राड में ठगी गयी कुल धनराशि 50,000.00/- रुपये शत प्रतिशत होल्ड करायी गयी थी।

इसी क्रम में उपरोक्त साइबर शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी राशि कुल 50,000/- रुपये MRM पोर्टल के माध्यम से शत प्रतिशत पीडित के खाते में वापस करायी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर साइबर हेल्प डेस्क थाना रामपुर मनिहारन व सहारनपुर पुलिस का आभार प्रकट किया।

पीडित का नाम व पता:-

श्री पलविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह निवासी ग्राम जाण्डखेडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

वापस करायी गई धनराशि-

➤ 50,000/- रुपये

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. म०उ०नि० नेहा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. कम्प्यूटर आपरेटर कपिल देव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
5. है०का० 1067 दीपक थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
6. म०का० 775 आकांक्षा सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
7. म०का० 158 कविता सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 23/06/2026

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर/अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17.06.2026 को कल्पना चावला अस्पताल के सामने से करनाल हरियाणा से चोरी की थी। उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में करनाल पुलिस से सम्पर्क किया गया तो जानकारी हुई कि उक्त बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन जनपद करनाल (हरियाणा) पर मु0अ0सं0 387/26 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल की बरामदगी के आधार पर वादी उ0नि0 श्री आजाद सिंह द्वारा थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 307/2026 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इंद्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.06.2026 को संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण **1. मुजम्मिल उर्फ शिबू पुत्र इमदाद निवासी मौहल्ला अशरफ अली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2. आकिल पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला कोटला कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को लखनौती रोड से बुड्ढाखेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 307/2026 धारा- 317(2), 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर रजि0 नम्बर HR-05-BL-5970

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1. मुजम्मिल उर्फ शिबू पुत्र इमदाद निवासी मौहल्ला अशरफ अली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. आकिल पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला कोटला कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक:23.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव, सहारनपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 डन्डे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.05.2026 को वादिया श्रीमती सुधा पत्नी रजनीश निवासी ग्राम बरला थाना छपरा जिला मुजफ्फरनगर की तहरीर बावत विपक्षीगण गौरव उर्फ मिडू पुत्र पुरुषोत्तम उर्फ पप्पू आदि द्वारा जंगल ग्राम जडौदा पाण्डा में बालेन्द्र पुत्र सुखबीर, बिजेन्द्र पुत्र सुखबीर के साथ मेढ की साझेदारी व घास रखने को लेकर लाठी डन्डो से मारपीट व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में दिनांक 28.05.2026 को मु0अ0सं0 139/26 धारा 115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/117(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण 1. गौरव उर्फ मिडू पुत्र पुरुषोत्तम उर्फ पप्पू निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 2. मयंक पुत्र योगेश कुमार निवासी ग्राम खडंजा अहमदपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को बडूली नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 डन्डे बरामद किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. गौरव उर्फ मिडू पुत्र पुरुषोत्तम उर्फ पप्पू नि0गण ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. मयंक पुत्र योगेश कुमार निवास ग्राम खडंजा अहमदपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 02 डन्डे बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

- 1- श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र राव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 3- उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 4- है0कां0 1202 उमरेश थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 5- कां0 1029 आदर्श थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”



दिनांक- 23.06.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर

नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक देहात एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त प्रवीण उर्फ कालू पुत्र कदम सिंह निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को बुड़ढाखेडा जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से से 10 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 210/26 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

प्रवीण उर्फ कालू पुत्र कदम सिंह निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 10 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवकरन शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 07 सुमित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2525 रंगेश कुमार कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड पुलिस टीम, स्वात टीम, एसओजी टीम एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 शातिर पशु चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदाही पर चोरी गयी 15 भेड़, 5000/- रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 01 छोटा हाथी, 01 स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद

घटना का विवरण: -

1.वादी श्री संजय पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम नल्हेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर के द्वारा दिनांक 16.06.2026 को थाना नकुड पर मु0अ0सं0 330/26 धारा 305(ए) बीएनएस बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के बाड़े से 31 भेड़े चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दर्ज कराया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 305(ए) बीएनएस का विलोपन करते हुए धारा 127(7), 310(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी।

2.वादी श्री राकेश कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 21.05.26 को थाना नकुड पर मु0अ0सं0 290/26 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर बाबत वादी के घर से वादी की भैंस चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही: - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त निरीक्षक श्री सुभाष चन्द के कुशल नेतृत्व में गस्त/चैकिंग के दौरान चौकी अम्बेहटापीर प्रभारी उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना द्वारा मय पुलिस फोर्स के स्वात टीम एवं एसओजी टीम व सर्विलांस टीम के साथ मिलकर दिनांक 23.06.2026 को अभियुक्तगण 1.शोयेब अंसारी पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मुण्डलाना थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, 2.नबी हसन उर्फ सुक्का पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला रैदासपुरी गांधीनगर कस्बा बनत थाना कोतवाली शामली जिला शामली, 3.प्रदीप पुत्र सुगना निवासी ग्राम मुण्डलाना थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, 4.छोटू उर्फ छोटन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मुण्डलाना थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 5.सलीम पुत्र भूरा निवासी वार्ड न0 14 पठान चौक मौहल्ला बाजीगारान डासना थाना वेबसिटी जिला गाजियाबाद 6.मोहित पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मुण्डलाना थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड व इनके एक साथी को अम्बेहटा गंगोह मार्ग पर रोकने का प्रयास किया गया तो, एक बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। एक बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया एवं शेष उपरोक्त 06 अभियुक्तगण को ग्राम अम्बेहटी के पास से घर घौटकर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी 15 रास भेड़, 5,000/- रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 01 छोटा हाथी एवं 01 स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 330/2026 में धारा 317(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी एवं मु0अ0सं0 290/26 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नकुड पर मु0अ0सं0 339/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा एक स्वर में बताया गया कि हम सभी ने मिलकर दिनांक 15/16.06.2026 की रात्रि में ग्राम नल्हेडा के जंगल में एक बाड़े से 20 भेड को चोरी कर लिया था तथ सभी भेडो को छोटे हाथी में भरकर हम लोग मुण्डलाना के जंगल में ले गये थे जहां हमने इन भेडो को छिपा कर रखा था तथा जिसमें से हमने 05 भेडें बेच दी थी तथा बेची गयी 05 भेडो के पैसो से एक नई स्पलैण्डर प्लस मोटर साईकिल खरीदी थी। जो भेड़ पुलिस द्वारा हमारे पास से मिली हैं उन्हें आज हम करनाल हरियाणा में बेचने जा रहे थे कि तभी पुलिस ने हमें पकड़ लिया। अभियुक्त शोयेब अंसारी ने बताया कि मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर करीब एक महीना पहले ग्राम मलकपुर से एक भैंस भी चोरी की थी, जिसे मैंने इसी छोटे हाथी में लाधकर ईद से पहले चलते फिरते व्यापारी को 50,000/- रुपये में बेच दी थी। जिसमें से मेरे हिस्से में केवल 10,000/- रुपये आये थे। पुलिस द्वारा जो 5,000/- रुपये मुझसे मिले हैं यह चोरी गयी भैंस को बेचकर प्राप्त किये गये रूपयों में से है बाकी 5,000/- रुपये मुझसे खर्च हो गये हैं। तथा मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर करीब डेढ महीना पहले ग्राम हरजौली जट्ट मंगलौर जिला हरिद्वार से रात्रि में इसी छोटे हाथी से दो भैंस और चोरी की थी जिन्हे मेरे एक अन्य साथी ने ईद से पहले चलते फिरते व्यापारी को एक लाख रुपये में बेच दिया था जो सभी पैसे अभी तक मेरे साथी के ही पास ही हैं। हमारा साथी पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने में सफल रहा। आज पुलिस पर फायरिंग करके भाग गया है, (उक्त 2 भैंस चोरी के सम्बन्ध में थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर मु0अ0स0 271/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.शोयेब अंसारी पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मुण्डलाना थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड,
- 2.नबी हसन उर्फ सुक्का पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला रैदासपुरी गांधीनगर कस्बा बनत थाना कोतवाली शामली जिला शामली,
- 3.प्रदीप पुत्र सुगना निवासी ग्राम मुण्डलाना थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड,
- 4.छोटू उर्फ छोटन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मुण्डलाना थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
- 5.सलीम पुत्र भूरा निवासी वार्ड न0 14 पठान चौक मौहल्ला बाजीगारान डासना थाना वेबसिटी जिला गाजियाबाद
- 6.मोहित पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मुण्डलाना थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की गयी 15 रास भेड़,
- 5000/- रुपये नकद (मु0अ0सं0 290/26 से सम्बन्धित)
- घटना में प्रयुक्त एक छोटा हाथी,
- एक स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाईकिल (भेड़ बेचकर ली गयी)

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 330/26 धारा 127(7)/310(2)/317(3) बीएनएस
मु0अ0सं0 339/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1) बीएनएस

अभियुक्त शोएब का आपराधिक इतिहास

शोयेब अंसारी पुत्र उमरदीन के विरुध मु0अ0सं0 290/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.अतिरिक्त निरीक्षक श्री सुभाष चन्द थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
- 2.निरी0 राजीव सक्सेना प्रभारी एसओजी जनपद सहारनपुर
- 3.उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
- 4.उ0नि0 नीरज पंवार प्रभारी स्वाट जनपद सहारनपुर

- 5.उ0नि0 अक्षय शर्मा स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
- 6.उ0नि0 रनवीर शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
- 7.है0कां0 सोनू शर्मा, सर्विलांस सैल सहारनपुर,
- 8.है0कां0 आकाश कुमार नेहरा सर्विलांस सैल सहारनपुर,
- 9.है0का0 अमरदीप स्वाट टीम
- 10.है0का0 हरेन्द्र स्वाट टीम
- 11.है0का0 जोगेन्द्र स्वाट टीम
- 12.है0का0 मनदीप स्वाट टीम
- 13.है0का0 अमित चिकारा स्वाट टीम
- 14.है0का0 अमित पंवार स्वाट टीम
- 15.है0का0 वसीम स्वाट टीम
- 16.है0का0 संदीप स्वाट टीम
- 17.है0का0 258 अजीत मलिक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
- 18.है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
- 19.है0का0 650 वरणकार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
- 20.है0का0 643 दीपक कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
- 21.का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
- 22.का0 2018 सन्दीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
- 23.का0 गौरव राठी स्वाट टीम
- 24.का0 अमित चौधरी स्वाट टीम
- 25.का0 विक्रांत तेवतिया स्वाट टीम



-प्रेस नोट-

दिनांक 23.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.06.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **जाहिद पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम राजपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं०- 16/12 धारा 135(2) वि०अधि०,मा० न्या० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 4 सहारनपुर , को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का नाम व पता -

जाहिद पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम राजपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ०नि० आनन्द कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
- 2- का०2226 अमित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश।

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी 4,40,700/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

अवगत कराना है कि वादी नीरज गोयल पुत्र हंस कुमार गोयल निवासी, उत्तम विहार कलोनी, गली नं0 5, बेहट रोड कोतवाली नगर, सहारनपुर द्वारा दिनांक 29.10.2025 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात महिला द्वारा वादी से दोस्ती कर ऑनलाइन पैसे निवेश कर पैसे कमाने का झांसा देकर वादी से अपने खातों में रु0 9,44,900/- जमा करवाये जाने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 50/2025 अन्तर्गत 318(4), 319(2) बीएनएस, 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.06.2026 को थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री नीरज गोयल उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से 4,40,700/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 907 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 1141 रोहित कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. म0है0कां0 189 रुचि शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. म0है0कां0 1301 कुमकुम यादव, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

